ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol.-5* Issue-8* October- 2020
Innovation The Research Concept

उत्तर प्रदेश के रामपुर जनपद में अनुसूचित जातियों का सामाजिक विश्लेषण

Social Analysis of Scheduled Castes in Rampur District of Uttar Pradesh

Paper Submission: 15/10/2020, Date of Acceptance: 26/10/2020, Date of Publication: 27/10/2020

मनोरम
अर्थशास्त्र विभाग,
राजकीय महाविद्यालय,
चौखुटिया (अल्मोडा)
उत्तराखंड भारत

सारांश

विकास की पहली शर्त सामाजिक विकास है। जिन देशों का सामाजिक विकास पहले हुआ और आर्थिक विकास बाद में वह देश आर्थिक विकास के उच्च शिखर पर स्थित हैं। भारत यद्यपि आर्थिक सामाजिक विकास की दृष्टि से विश्व में अग्रणी था किन्तु अनेक राजनैतिक, धार्मिक तथा सामाजिक कारणों से वह विश्वगुरू के पद से अलग हुआ और विश्व की अनेक शक्तियों तथा आंतरिक संघर्षों ने भारत की आर्थिक, सामाजिक तथा वैचारिक समृद्धि को निचोड़ कर उसे पतनोन्मुख कर दिया। भारत दुनिया का एक बहुसांस्कृतिक देश है, यह विभिन्न धर्मों और भाषाओं द्वारा सामाजिक रूप से विभेदित है। हिंदू धर्म सबसे पुराना और सबसे बड़ा आबादी वाला धर्म है जो जाति व्यवस्था का पालन करता है। जाति व्यवस्था में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को निम्न जाति के रूप में माना गया है। सदियों से शोषित आरक्षित वर्ग विशेषकर अनुसूचित जाति के लोग अपने दैनिक जीवन में न केवल आर्थिक, राजनैतिक एवं शैक्षिक समस्याओं से ग्रसित हैं वरन् सामाजिक क्षेत्र में भी विकट परिस्थितियों का सामना प्रतिदिन करते रहते हैं। आरक्षित वर्ग विशेष कर अनुसूचित जाति की खराब आर्थिक स्थिति ने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास को भी प्रभावित किया है। राष्ट्रीय स्थिति में सुधार करने के लिए ही आरक्षण प्रणाली लागू की गई और आरक्षित वर्ग के आर्थिक सामाजिक उन्नयन हेतु विशिष्ट योजनायें प्रारम्भ की गईं। वर्तमान में इन योजनाओं में स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना सबसे बड़ी योजना है। इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति को कहां तक मिला है अर्थात् यह योजना अपने उद्देश्य में कहां तक सफल रही है। इसका मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है जो कि प्रस्तुत अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य है।

The first condition of development is social development. The countries whose social development took place first and economic development later are located at the highest peak of economic development. Although India was a pioneer in the world in terms of economic social development, but due to many political, religious and social reasons, he broke away from the post of world guru and many powers and internal conflicts of the world squeezed India's economic, social and ideological prosperity and made it fall-oriented. done. India is a multicultural country in the world, it is socially differentiated by various religions and languages. Hinduism is the oldest and largest populous religion that follows the caste system. In the caste system, Scheduled Castes and Scheduled Tribes have been considered as low castes. For centuries, the exploited reserved class, especially the Scheduled Castes, are not only suffering from economic, political and educational problems in their daily life, but also in the social sector, they are facing difficult situations daily. The poor economic condition of the reserved class especially the Scheduled Castes has also affected the development of the national economy. Reservation system was implemented only to improve the national situation and specific schemes were started for the economic social upliftment of the reserved class. Presently, Swarnajayanti Gram Swarozgar Yojana is the biggest scheme among these schemes. How far the Scheduled Castes have got the benefit of this scheme, ie how far this scheme has been successful in its objective. It needs to be evaluated which is the main objective of the research presented.

मुख्य शब्द : द्वितीयक समंकों, संविधान , अस्पृश्य, वर्ण–व्यवस्था, सामाजिक, विकलांगता, अंतर्निहित।

Secondary Figures, Constitution, Untouchables, Varna System, Social, Disability, Inherent.

प्रस्तावना

इतिहास भूतकाल में घटित घटनाओं का क्रमबद्ध वर्णन है, जो तथ्यों पर आधारित होता है। जो इसे वर्तमान में देख रहे हैं, वह अतीत पर आधारित है। अतः वर्तमान को सही रूप में समझने के लिए इतिहास को जानना आवश्यक हो जाता है। जहां तक अनुसूचित जाति के सामाजिक इतिहास का प्रश्न है तो इसका आधार वर्ण व्यवस्था तथा जाति व्यवस्था की उत्पत्ति एवं विकास में ही ढूंढा जा सकता है, क्योंकि वर्तमान का पिछड़ा वर्ग इसी सामाजिक व्यवस्था का अभिन्न अंग है तथा इसके पिछड़ापन एवं निम्न स्थिति का कारण भी जाति व्यवस्था ही है। भारतीय इतिहास का प्रारम्भ सैन्धव सभ्यता से माना जाता है। इस सभ्यता की जानकारी 1921 ई0 में हड़प्पा एवं मोहन जोदड़ो की खुदायी से हुई। सैन्धव सभ्यता का काल 2500 ई0 पूर्व माना गया है। सैन्धव सभ्यता काल की सामाजिक संरचना के सम्बन्ध में कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसकी लिपि को पढ़ना अभी पूर्णतः सम्भव नहीं हो पाया है, तथापि इसके विकसित स्वरूप को देखकर व्यवसायिक वर्गों के अस्तित्व का अनुमान लगाया जा सकता है। सैन्धव शासक को – "पुरोहित शासक" का नाम दिया जाता था। साथ ही साथ नगर योजना को देखकर लकड़ी काटने एवं ढोने वाले, ईंट बनाने वाले एवं पकाने वाले, मकान बनाने वाले तथा उनमें लकड़ी का काम करने वाले कारीगर तथा उन्नत व्यापारी वर्ग के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है। इसी आधार पर गार्डन चाइल्ड ने यह मत व्यक्त किया है कि सैन्धव समाज वर्गों में बंटा हुआ था और इस वर्ग विभाजन का आधार आर्थिक था।

कुछ विद्वानों ने सैन्धव सभ्यता की सम्पन्नता एवं विकसित स्वरूप को ध्यान में रखकर "दास वर्ग' के अस्तित्व की भी संभावना व्यक्त की है। इसी प्रकार एस0सी0 मलिक का विचार है कि भारतीय समाज की सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्था 'जाति–व्यवस्था' हड़प्पा समाज में विद्यमान थी। लेकिन एस0पी0 गुप्ता ने सैन्धव सभ्यता में जाति–व्यवस्था का अस्तित्व देखना सर्वथा कल्पना पर आधारित माना है। इस प्रकार प्रमाणित साक्ष्यों के अभाव में सैन्धव सभ्यता काल में सामाजिक भेद–भाव पर आधारित सामाजिक व्यवस्था के अस्तित्व को अस्वीकार किया जाता है, भले ही उस समय आर्थिक असमानता रही हो। लेकिन सामाजिक संस्था केरूप में वर्ण या जाति का अस्तित्व नहीं था। सामान्यतः सैन्धव सभ्यता के पतन के पश्चात वैदिक सभ्यता का विकास हुआ। यही कारण है कि वैदिक सभ्यता को सैन्धव सभ्यता की अनुवर्ती सभ्यता के रूप में अस्वीकार किया जाता है। वैदिक सभ्यता का तात्पर्य उस सभ्यता से है, जिसका विश्लेषण वैदिक साहित्य में मिलता है। छठी शताब्दी ई.पू. भारतीय इतिहास में सामाजिक क्रान्ति का युग समझा जाता है, क्योंकि इस युग में महावीर एवं बुद्ध जैसे विचारक हुए, जिन्होंने जन्मजात और वंशानुगत वर्ण–व्यवस्था तथा ब्राह्मणों की श्रेष्ठता का विरोध किया।

जन सामान्य बुद्ध के उपदेश से आकर्षित होकर ब्राह्मणवादी बाह्याडम्बरों को तोड़ने लगा। फिर भी जाति–व्यवस्था का स्वरूप स्पष्ट हो गया था। शूद्रों की दशा दयनीय थी। फिक ने बड़े ही प्रमाणिक ढंग से इस समय की सामाजिक व्यवस्था का उल्लेख किया है। इस समय वर्ण व्यवस्था जाति के रूप में परिवर्तित हो गया था, क्योंकि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र के लिए जाति शब्द का प्रयोग होने लगा था। इसका मूल कारण यह था कि वर्ण की जनजातिय इकाइयों का गठन हो गया था और अपने ही वर्ण में विवाह करने की प्रवृत्ति पनप गई थी। पालि बौद्ध ग्रन्थों में विभिन्न जातियों को उक्कट्ठ (उत्कृष्ट) तथा हीन जातियों में वर्गीकृत किया गया था। क्षत्रिय, ब्राह्मण जातियां उत्कृष्ट जातियां तथा चाण्डाल, वेण, निषाद, रथकार पुक्कुस जाति हीन जातियों में गिनी गई है। इन हीन जातियों को भी पाणिनि ने दो कोटियों में वर्गीकृत किया है–' निर्वासित तथा अनिर्वासित।

अनिर्वासित शूद्रों के अन्तर्गत वे लोग आते थे जो द्विज जातियों के सेवक होने के कारण उन्हीं के इर्द–गिर्द निवास करते थे, जबकि अनिर्वासित शूद्रों के अन्तर्गत वे लोग आते थे जो अधिक घृणित कार्य करने के कारण द्विज जातियों से अलग रहते थे। इससे स्पष्ट होता है कि शूद्रों में भी कुछ जातियां उच्च जातियों द्वारा विशेष घृणा की दृष्टि से देखी जाती थीं और उन्हें आर्य समाज की सीमा के अन्दर निवास करने की अनुज्ञा नहीं थी। चाण्डाल की पुक्कुस सम्भवतः ऐसी ही जातियां थी। जातकों में शूद्रों के प्रति भेद–भाव का बड़ा शोचनीय चित्र पेश किया गया है, जिन्हें दास बना दिया गया था। दीर्धनिकाय में "शुद्रो या शुद्रासों" कहा गया है। पी.वी. काणे ने भी माना है कि दासवृति मुख्यतः शूद्रों की नियति थी। बौद्ध साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि दासवृति एक बार पड़ जाने पर उसे किसी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं रह जाती थी। बौद्ध ग्रन्थों कौटिल्य के अर्थशास्त्र तथा मनुस्मृति में इन दासों का वर्गीकरण भी किया गया है। बौद्ध विनय में दासों की तीन कोटियां बताई गई। कुछ तो जन्मतः दास होते थे क्योंकि उनके माता–पिता दास थे, कुछ आर्थिक विपन्नता के कारण दास बनते थे तथा कुछ को युद्ध में बन्दी बनाए जाने पर दासता स्वीकार करनी पड़ती थी। दासों का जीवन दयनीय था। उसे सम्पत्ति रखने के लिए स्वामी की अनुज्ञा आवश्यक होती थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में पाँच तथा मनु स्मृति में सात प्रकार के दासों का उल्लेख है। इस समय अस्पृश्यता के भी उदाहरण मिलते हैं।

चाण्डालों का दर्शन भी निषिद्ध था। किसी श्रेष्ठि की पुत्री ने चाण्डाल को देखने पर चक्षुओं को जल से साफ किया। चाण्डाल का देखा हुआ भोजन भी अपवित्र माना जाता था। सोलह हजार ब्राह्मण चाण्डाल का भोजन लेने के कारण जाति से बहिष्कृत कर दिये गए। एक ब्राह्मण ने तो आत्महत्या कर ली। चाण्डाल को स्पर्श करने वाली वायु भी अपवित्र मानी जाती थी चाण्डाल नगरों और ग्रामों के बाहर रहते थे। शूद्रों विशेषकर निकृ

ष्ट शूद्रों के साथ अस्पृश्यता की भावना का विकास अब तक हो चुका था। अस्पृश्यता के कई कारण बताए गए हैं। भयंकर दुष्कर्मों के कारण जाति से निष्कासित लोग अस्पृश्य हो जाते थे। मनु (9.235–239) ने लिखा है कि ब्रह्महत्या करने वाले, ब्राह्मण के सोने की चोरी करने वाले, सुरापान करने वाले लोगों को जाति से बाहर कर देना चाहिये न तो उनके साथ खाए, न उन्हें स्पर्श करें, न उनकी पुरोहिती करें और न उनके साथ कोई विवाह–सम्बन्ध स्थापित करें, वे लोग वैदिक धर्म से विहीन होकर संसार में विचरण करें। अस्पृश्यता उत्पन्न होने का दूसरा स्रोत धर्म सम्बन्धी घृणा एवं विद्वेश है।

तीसरा कारण यह है कुछ विशेष व्यवसायों का पालन करना जैसे देवलक, जो धन के लिए तीन वर्ष तक मूर्ति पूजा करता है, ग्राम के पुरोहित को सोमलता विक्रय कर्ता के स्पर्श से वस्त्र–सहित स्नान करना पड़ता है। चौथा कारण है कुछ विशेष परिस्थितियों में पड़ जाना जैसे रजस्वला स्त्री के स्पर्श, पुत्रोत्पन्न होने के दस दिन की अवधि में स्पर्श, सूतक में स्पर्श, शव स्पर्श आदि में वस्त्र सहित स्नान करना पड़ता है। अस्पृश्यता का पांचवां कारण है म्लेच्छ या कुछ विशिष्ट देशों का निवासी होना।

इसके अतिरिक्त स्मृतियों के अनुसार ऐसे व्यक्ति जो गन्दा व्यवसाय करते थे, जैसे कैवर्त (मछुआ) मृगंयु (मृग मारने वाला), व्याध सोनिक (कसाई), शाकुनिन (बहेलिया), धोबी, जिन्हें छूने से स्नान करके ही भोजन किया जा सकता था। चाण्डाल तथा श्वपच पहले ही अस्पृश्य माने जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त चमार, नट, तेली कलवार, जल्लाद आदि भी अस्पृश्य माने गये हैं। इस प्रकार जाति के रूढ़ होने के साथ–साथ कालान्तर में अस्पृश्यता के अन्तर्गत कुछ अन्य जातियां भी सम्मिलित होती चली गईं । इस समय आपद–धर्म के सिद्धान्त के कारण विशेष परिस्थिति में कोई भी वर्ण अपने से निकटतम वर्ण के कर्म को अपना सकता था, लेकिन ज्यादा निम्न वर्ण के कार्य को नहीं अपनाया जा सकता था। जो लोग अपने से ज्यादा निम्न वर्ण के पेशे को अपना लेतेथे वे शूद्र के श्रेणी में आ जाते थे। दूसरी ओर निम्न वर्ण के लोग अपने से उच्च वर्ण के कर्म को नहीं अपना सकतेथे। फिर भी इस काल में नन्द वंश एवं मौर्य वंश जो कि शूद्र थे, ने शासन कार्य किया। मेगस्थनीज के वर्णन से स्पष्ट है कि चौथी शताब्दी ई0पू0 में जो जातियां विद्यमान थी, वे सात जातियों में विभक्त थे–1. दार्शनिक, 2. कृषक, 3. गोपाल एवं गडेरिया, 4. शिल्पकार, 5. सैनिक, 6. रक्षक 7.सभासद एवं करग्राही। इनमें पहला एवं पांचवा वर्ग क्रमशः ब्राह्मण एवं क्षत्रिय जाति के, दूसरा एवं तीसरा वर्ग वैश्य जाति के, चौथा शूद्र का तथा छठा एवं सातवा आमात्यों के सूचक थे। इस प्रकार मेगस्थनीज भ्रम के शिकार होकर व्यवसायिक वर्ग को जाति समझ बैठे। इस समय तक मौर्य वंश के संस्थापक चन्द्रगुप्त मौर्य ने यह घोषणा करवाई कि शासन के कानून धार्मिक नियम से ऊपर होंगे और इस प्रकार उसने उन प्रतिबन्धों को शूद्रों के ऊपर से हटवाने का प्रयत्न किया जो ब्राह्मणों द्वारा उन पर थोपे गये थे। सम्राट अशोक के समय ब्राह्मणों के विशेषाधिकार को और भी अधिक धक्का लगा, क्योंकि अशोक की धार्मिक नीति मुख्य रूप से सार्वभौमिक भ्रातृत्व तथा सहिष्णुता पर आधारित थी, जिसमें जाति बन्ध या भौगोलिक बाधाओं का कोई स्थान नहीं था। इस कारण जाति–व्यवस्थामें शिथिलता आई और शूद्र पर अत्याचार कम हुए। लेकिन दुर्भाग्यवश मौर्य वंश के अंतिम शासक वृहद्रथ की हत्या उसके ही ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कर दी गई तथा शुंग, वंश की स्थापना हुई। पुष्यमित्र कट्टर ब्राह्मणवादी था। इसी प्रकार शुंग, कन्व एवं कुषाण राजाओं के संरक्षण में ब्राह्मण धर्म के पुनर्जागरण तथा जाति–व्यवस्था के विकास को प्रेरणा प्रदान की गई। इसी काल (सम्भवतः 85 ई0पू0) में "मनुस्मृति' की रचना की गई। इस स्मृति के माध्यम से वैदिक संस्कारों की पुर्नस्थापना सम्भव हुई और ब्राह्मणों ने शूद्रों पर पुनः अनेक प्रतिबन्ध लगाकर कानूनी सहायता बिल्कुल समाप्त कर दी। इस प्रकार पुनः जाति–व्यवस्था कट्टर सामाजिक–व्यवस्था के रूप में स्थापित हो गई।स्मृति एवं महाकाव्य काल–स्मृति काल से तात्पर्य उस समय से है, जिसमें स्मरण के आधार पर वेदों से इतर ग्रन्थों तथा पाणिनि के व्याकरण, श्रोत, गृह एवं धर्म सूत्र, महाभारत, मनु, याज्ञवल्क्य एवं अन्य ग्रन्थों से सम्बन्धित है।

मनुस्मृति को मानव व्यवहार संहिता के रूप में प्रचारित किया गया। सत्य तो यह है कि मनुस्मृति को ही सामाजिक–व्यवहारिक संहिता के रूप में स्वीकार किया गया, जिसका प्रभाव जीवन के सभी पक्षों पर पड़ा। इसमें वर्णधर्म से लेकर धर्म, खान–पान, विवाह, सम्पत्ति का अधिकार न्याय, कर्म आदि सभी का विवेचन है। अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाह की चर्चा इस काल में मिलती है। यद्यपि अनुलोम विवाह नीति सम्मत मानी जाती थी, लेकिन प्रतिलोम विवाह के कारण वर्ण संकरता की वृद्धि होती थी। अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाह के फलस्वरूप नवीन जातियों का विकास होता गया। इसके लिए "वर्ण संकर" नाम दिया जाता जो निम्न होने का संकेत था। साथ–ही–साथ 'जात्युत्कर्ष' एवं 'जात्यापकर्ष' के माध्यम से जाति वृत्ति या पेशा का निर्धारण होने लगा। जो ब्राहम्ण, क्षत्रिय एवं वैश्य अपने वर्ण के अनुसार कर्म नहीं करते थे वे क्रमशः निम्न वर्ण में जाते रहे। इस प्रकार जातिकर्म का सिद्धान्त विकसित होने लगा। व्यवसाय में पवित्रता, (शुद्धता) एवं अपवित्रता (अशुद्धता) की भावना जुड़ने लगी। जो दास या शुद्ध अपने से उच्च वर्ण के साथ रहकर उनकी सेवा करता था वह उनके निकट रह सकता था तथा जो अपवित्र तथा गन्दें कार्यों में लगे थे अस्पृश्य होने लगे। इसी प्रकार शूद्रों के विभाजन के कई आधार थे जैसे अनिरवसित शूद्र– जो तीन वर्णों से दूर रहते थे। जैसे – चाण्डाल । उसी प्रकार भोज्यान्न (जिनके द्वारा बनाया भोजन ब्राह्मण ग्रहण कर सकते थे) एवं अभोज्यान्न (जिसके द्वारा बनाया भोजन ब्राह्मण नहीं कर सकते थे)। उसी प्रकार शूद्र विभाजन का एक आधार सच्छूद (अच्छे आचरण वाले शूद्र) तथा असच्छूद्र माना गया। प्रथम प्रकार में वे शूद्र आते थे जो सद् व्यवसाय करते,द्विज जातियों की सेवा करते और मांस एवं आसव का परित्याग कर चुके थे। जी० एस0 धूरिये ने सभी जातियों को पांच भागों में बांटा है– प्रथम द्विज जातियां,

दूसरी वे जातियां जिनके हाथों द्विज "पका" भोजन ले सकते हैं, तीसरी वे जातियां जिनके हाथों बना किसी प्रकार का भोजन द्विज नहीं ले सकते, किंतु उनके हाथ से जल ले सकते हैं, चौथे, वे जातियां जो अभी तक अछूत नहीं हैं, किंतु उनके हाथ का पानी द्विजों द्वारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है और पंचम जातियां जिनके छूने से न केवल द्विज ही भ्रष्ट हो जाते अपितु कोई भी सनातनी भ्रष्ट हो जाता है। इस प्रकार इस समय तक वर्ण–व्यवस्था जाति –व्यवस्था में परिणत हो गयी थी। स्मृतियों, महाकाव्यों एवं सूत्रों के आधार पर शूद्रों से संबंधित अग्रलिखित निर्योग्यताएं स्पष्ट हो गई थी। शूद्र जान–बूझकर स्मरण करने के लिए वेद–पाठ सुने तो उसके कर्ण में पिघला हुआ सीसा और लौह भर देना चाहिए और यदि उसने वेद पर अधिकार कर लिया है तो उसके शरीर को छेद देना चाहिए। शूद्र उपनयन संस्कार के लिए अयोग्य है। चूंकि वेदाध्ययन उपनयन संस्कार के बाद ही संभव है। अतः वह वेदाध्ययन नहीं कर सकता। लेकिन महाभारत एवं पुराण सुन सकते थे। महाभारत के शांति पर्व (328.48) एवं आदि पर्व (62.22 एवं 95.87) में लिखा है कि चारों वर्ण ब्राह्मण पाठक से महाभारत सुन सकते हैं। वे प्रतिदिन वाले पंच महायज्ञ साधारण अग्नि में कर सकते थे, श्राद्ध भी कर सकते थे। वे "अग्नेय स्वाह" नहीं कर सकते थे। मनु (10.127) के अनुसार उनके सारे क्रिया–संस्कार बिना वैदिक मंत्रों के हो सकते हैं।मनु (3. 67) एवं याज्ञवल्क्य (1.97) के अनुसार शूद्र वैवाहिक अग्नि नहीं रख सकते थे किन्तु साधारण अग्नि में आहुति दे सकते थे। शूद्र एवं चाण्डाल 13 अक्षरों वाला रा मंत्र––श्री राम जय जय राम एवं 5 अक्षरों वाला शिव मंत्र–नमः शिवाय उच्चारित कर सकते थे, किन्तु 6 अक्षरों वाला शिव–मंत्र ऊँ नमः शिवाय का उच्चारण सिर्फ द्विज ही कर सकते थे। ब्रिटिश सरकार ने भारत में सामाजिक–आर्थिक सुधार लाने के लिए विकलांग निवारण अधिनियम, 1850 पारित किया। आगे ब्रिटिश शासकों ने जाति व्यवस्था पर प्रहार के लिए विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, 1856 और विशेष विवाह अधिनियम, 1872 पारित किया। हालाँकि ये उपाय केवल प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए गए थे, न कि जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए। लेकिन, ब्रिटिश काल में रचनात्मक तरीके से कुछ सामाजिक सुधार शुरू हुए। इसी अवधि में, कुछ सामाजिक आंदोलनों ने पारंपरिक जाति व्यवस्था पर हमला किया, जैसे, आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती ने की थी, 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा स्थापितब्रह्मदेव समाजष, 1895 में ष्ब्रह्म सनातम धर्म सभाष्की स्थापना की गई थी।

ब्रह्म समाज की स्थापना 1928 में राजा राम मोहनराय ने की थी। इन सामाजिक आंदोलनों ने समाज में सामाजिक जागरूकता पैदा की। इस समय तक शूद्र कही जाने वाली जातियाँ, पिछड़े, मध्य, परिगणित, दलित, हरिजन आदि कहे जाने लगे थे। यद्यपि कि गांधी जी ने अछुतोद्वार के माध्यम से हरिजनों के प्रति घृणा कम करने का प्रयास किया, तथापि उन्हें विशेष सफलता नहीं मिली और उन्होंने स्वयं भी आगे चलकर विशेष प्रयास नहीं किया । हालाँकि वे जाति व्यवस्था की कठोरता को हटाने में सफल नहीं हुए, हालाँकि इस अवधि में कुछ संरचनात्मक सुविधाएँ प्रभावित हुईं। विश्व युद्ध के बाद –(1914 से 1918) भारत में औद्योगीकरण शुरू हुआ, जो गाँव से शहर की तरफ लोगों का पलायन करता है। यह प्रवासन प्रक्रिया जाति व्यवस्था और लोगों के सामाजिक–आर्थिक ढांचे के कठोर रूप में कुछ बदलाव लाती है। ब्रिटिश सरकार के गठन के बाद, भारत की जनगणना 1931 ने व्यवस्थित रूप से अछूत जातियों जैसे कि अतिसुद्रा, अवनरास, पंचम, अछूत, सेवादार वर्ग, निराश्रित वर्ग, बाहर की जातियां, विकलांग वर्ग, बाहरी आदि को सूचीबद्ध किया, और आधिकारिक तौर पर डिप्रेस्ड के रूप में परिभाषित किया गया। 1935 में साइमन कमीशन ने अनुसूचित जाति शब्द गढ़ा, उन्हें हरिजन और दलित भी कहा जाता है, फिर उन्हें भारत सरकार अधिनियम, 1935 के माध्यम से अनुसूचित जाति (एससी) कहा जाता है। उस समय में सरकार ने अनुसूचित जाति की एक सूची प्रकाशित की थी। सरकार (अनुसूचित जाति) आदेश, 1936 के तहत, चौथा, स्वतंत्र अवधि, इस अवधि के दौरान अनुसूचित जातियों को अनुच्छेद 341 (1) के तहत संविधान में मान्यता दी गई थी और ''अनुसूचित जातियों'' को ''भारत के राष्ट्रपति सम्मान के साथ परिभाषित किया जा सकता है।'' किसी भी राज्य (या केंद्र शासित प्रदेशों) में, और जहां यह सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा सरकार के साथ परामर्श के बाद राज्य है, जातियों, नस्लों या जनजातियों या समूहों के कुछ हिस्सों, जातियों, जातियों, जनजातियों के लिए निर्दिष्ट करें जो इस उद्देश्य के लिए, संविधान को उस राज्य (या केंद्र शासित प्रदेशों) के संबंध में अनुसूचित जाति माना जाएगा या जैसा भी मामला हो। " तदनुसार, भारत के राष्ट्रपति ने संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित (जनजाति संशोधन) अध्यादेश 1956 के आदेश में अनुसूचित जातियों को अधिसूचित किया है। अब तक के विश्लेषण से स्पष्ट है कि किस प्रकार वर्तमान का अनुसूचित जाति दस्यु 'दास' 'अन्त्यज, चाण्डाल, "दलित तथा 'हरिजन जाति' के नाम से विभूषित होते हुए आज की स्थिति में आया। (अनुसूचित जाति का विश्लेषण विषय प्रवेश वाला अध्याय में किया गया है)। प्रारम्भ का दास ही शूद्र तथा शूद्र की पवित्रता, अस्पृश्यता, उत्कृष्टता तथा निकृष्टता के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जातियों की श्रेणी में विभक्त हो गया। यद्यपि स्वतत्रता के पश्चात संविधानतः सभी नागरिकों को जाति–लिंग एवं धर्म के बिना भेद–भाव के सभी को समान मान लिया गया।

अनुच्छेद 5 के द्वारा दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों, कुओं, तालाबों, स्नान घाटों तथा सड़कों का उपयोग करने पर सभी रूकावटें दूर कर दी गईं। अनुच्छेद 7 के द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन कर इसका किसी भी रूप में प्रचलन निषिद्ध कर दिया गया। अनुच्छेद 5 के द्वारा हिन्दुओं के सार्वजनिक धार्मिक स्थानों के द्वार सभी जातियों के लिए खोल दिये गये। अनुच्छेद के द्वारा सभी जातियों को स्वतंत्रता पूर्वक व्यवसाय एवं धन्धे करने का अधिकार दे दिया गया। अनुच्छेद 9 के द्वारा सरकारी एवं

अर्द्धसरकारी शिक्षा संस्थाओं में जाति, धर्म वंश एवं लिंग के भेद–भाव के आधार पर किसी को प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ उस पर होने वाले अत्याचारों के निवारण हेतु कई अधिनियम बनाए गए हैं। इन सभी व्यवस्थाओं के बावजूद व्यवहारिक तौर पर अभी भी उनके साथ भेदभाव पर आधारित व्यवहार किया जा रहा है। आज भी अधिकांश अनुसूचित जाति सामाजिक आर्थिक निर्योग्यताओं से ग्रसित हैं। सामाजिक स्तरीकरण और जाति व्यवस्था पर चर्चा समाप्त करने के लिए, यह कहा जा सकता है कि जाति में जन्म सदस्यता का एकमात्र मानदंड है। जाति व्यवस्था की व्यावसायिक विशेषताओं को स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया जाता है और रैंक और स्थिति के मूल्यों को पूरा किया जाता है। कुछ व्यवसायों को उच्च स्थिति और रैंक और अन्य व्यवसायों को निम्न स्थिति और रैंक दिया। व्यवसायों में जातिगत व्यवसाय के साथ सामाजिक स्थिति का आनंद मिलता है। उप–जातियों के वर्गीकरण के साथ–साथ व्यवसायों में सामाजिक पदानुक्रम का परिणाम, जाति समूहों के बीच धार्मिक, आर्थिक, शैक्षिक और राजनीतिक संबंधों में स्थिति और रैंक की सामाजिक पदानुक्रम और अंतर्निहित असमानता मौजूद है। भारतीय जाति व्यवस्था के अवलोकन के अनुसार, शूद्र को प्राचीन सामाजिक में सबसे नीच और सबसे कम वर्ण के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जाति प्रणाली में तब उन्हें अनुसूचित जाति कहा जाता था। भारतीय जाति व्यवस्था में उन्हें अपवित्र माना जाता था। परिणामस्वरूप प्रदूषण और अशुद्ध, अनुसूचित जातियों को गांवों के बाहर रहने के लिए मजबूर किया गया और जीवन के सभी क्षेत्रों में भेदभाव का सामना करना पड़ा। भारत की जनगणना 1931 में अनुसूचित जातियों की अक्षमताओं को सूचीबद्ध किया था जो स्वच्छ ब्राह्मणों द्वारा सेवा में असमर्थता, नाइयों द्वारा सेवा करने में असमर्थता, जल वाहक, दर्जी आदि, जो उच्च जाति के हिंदुओं की सेवा करते हैं, हिंदू मंदिरों में प्रवेश करने में असमर्थताए सड़कों, घाटों, कुओं और स्कूलों के रूप में सार्वजनिक उपयुक्तता का उपयोग करने और अपने आप को उदास व्यवसाय से अलग करने में असमर्थता। अनुसूचित जातियों के ऊपर उल्लिखित प्रतिबंधों के कारण सामाजिक पदानुक्रम में कम रखा गया था और व्यावसायिक, शैक्षिक, सामाजिक सांस्कृतिक और धार्मिक विकलांगता और भेदभाव से पीड़ित थे।

शोध का स्वरूप एवं प्रकृति

प्रस्तुत शोध कार्य विश्लेषणात्मक प्रकृति का है। इसके अंतर्गत जनपद रामपुर में अनुसूचित जाति के आर्थिक–सामाजि उन्नयन के सन्दर्भ में स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना से सम्बन्धित द्वितीयक समंकों एवं प्राथमिक समंकों का उपयुक्त सांख्यिकीय विधियों के द्वारा विश्लेषण करके निष्कर्ष प्राप्त किये गये हैं। चूंकि प्राथमिक समंक भी प्रयोग किये गये हैं इसलिए सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है। समंक संकलन हेतु स्वनिर्मित अनुसूची का प्रयोग किया गया है।

शोध कार्य के उद्देश्य

प्रस्तुत शोध के मुख्य उद्देश्य निम्न लिखित है–

1. जनपद रामपुर की जनांकिकीय संरचना का अध्ययन करना ।
2. जनपद रामपुर की अनुसूचित जातियों का सामाजिक विश्लेषण करना।
3. जनपद रामपुर की अनुसूचित जातियों के राजनैतिक स्वरुप का अध्ययन करना।
4. जनपद रामपुर की अनुसूचित जातियों का आर्थिक विश्लेषण करना।
5. अनुसूचित जातियों की मुख्य समस्याओं का अवलोकन करना ।
6. समस्याओं के निराकरण हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।

अध्ययन क्षेत्र का चुनाव

रामपुर जनपद एक अविकसित जनपद है क्योंकि इसकी सभी सीमाएं किसी न किसी नदी से लगी होने के कारण बरसात के मौसम में क्षेत्र को प्रभावित करती रहती है। विकास की दृष्टि से क्षेत्र में निवास कर रहें अनुसूचित जाति के लोग अत्यंत पिछड़े हुए है। अतः यह अययन जनपद रामपुर की सीमाओं तक सीमित है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु अनके आर्थिक–सामाजिक योजनायें एवं कार्यक्रम लागू हैं जैसे –शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति, बुक बैकं योजना,प्रशिक्षण योजना, औद्योगिक संस्थानों का सचांलन, उन्नयन बस्तियों की स्थापना, आश्रम पद्धति के विद्यालयों का सचांलन, छात्रावास स्वच्छकार विमुक्ति एवं पुर्नवास योजना, स्वतः रोजगार योजना आदि। राज्य में केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित कई योजनायें थीं। जो सरकारी सहयोग के साथ चलायी जा रही है जिनमें प्रधानमंत्री योजना, जवाहर रोजगार योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना तथा स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना प्रमुख है।

स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना रोजगार की सबसे बड़ी एवं प्रभावशाली योजना है। इस योजना के अंतर्गत एक निश्चित आर्थिक सामाजिक स्तर वाले लागों को स्वराजेगार के अवसर उपलब्ध है चूकि अनुसूचित जाति के लागे सामान्यता निम्न आर्थिक–सामाजिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं इसलिए उनके लिए इस याजेना का अत्यधिक महत्व है योजना में भी अनुसूचित जाति को प्राथमिकता प्रदान की गई है यह योजना अन्य सरकारी योजनाओं की भाति
आकंड़ों का खेल है या फिर वास्तव में निर्बल वर्ग को सहारा देने में सफल हुई है यह एक महत्वपर्ण प्रश्न है।

निष्कर्ष व सुझाव

अनुसूचित जातियों को उनके लंबे जुड़ाव के लिए जाना जाता था, जिन्हें अशुद्ध, सामाजिक रूप से नीचा और कम से कम पसंदीदा व्यवसाय दिया जाता था। कई अछूतों ने आनुवंशिक व्यवसायों का अनुसरण किया जैसे कि मैला ढोना, शव बरामदगी और फेनिंग और टेनिंग, लेदरवर्क, ड्रम पिटाई और कब्र खोदना। ये व्यवसाय जो स्थायी अनुष्ठान आबादी के साथ अछूतों के साथ जुड़े हुए थे, उनके बीच पारंपरिक भारतीय समाज के फ्रेम वर्क में, उच्च जाति के हिंदुओं और उनके बीचनिम्न स्तर के सामाजिक संबंध थे।अनुसूचित जातियों के कब्जे को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि वे आर्थिक रूप से गरीब थे और आम तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में उनके

जातिगत कब्जों के अलावा कृषि श्रम और अन्य निम्न आय व्यवसाय पर निर्भर थे और असंगठित गैर–खेतिहर मजदूर मजदूर गाड़ी खींचने वाले, शहरी क्षेत्रों में सफाई कर्मचारीं। अनुसूचित जातियों को सदियों से शैक्षिक अक्षमताओं का सामना करना पड़ा। ऐतिहासिक रूप से वे सबसे अशिक्षित और अनपढ़ समूह थे। अनुसूचित जातियों के बीच सामूहिक निरक्षरता उन पर लगाए गए सामाजिक और धार्मिक प्रतिबंधों के कारण थी। पवित्र पुस्तकों के अनुसार, बृहस्पति और मनुस्मृति सुदास को हिंदू धार्मिक मंत्रसीखने के लिए निषिद्ध किया गया था। गरीबी, प्रतिकूल आर्थिक स्थिति, ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षिक सुविधाओं का अभाव, शैक्षिक सुविधाओं के ज्ञान की कमी, पिछड़ापन औपचारिक शिक्षा लेने के मुख्य कारण हैं और वे शैक्षिक रूप से पिछड़ों की याद दिलाते हैं। अनुसूचित जातियों की न केवल अतीत में सत्ता में कोई पहुँच नहीं थी, बल्कि यह भी कि राजनीतिक भागीदारी के लिए योगदान देने वाले किसी भी कारक की अनुपस्थिति के कारण, जो कि जातिगत हिंदू के लिए था, लेकिन उनकी निम्न सामाजिक स्थिति औरउच्च जाति के हिंदुओं पर आर्थिक निर्भरता के कारण। अशिक्षा और अज्ञानता, पारंपरिक मूल्यों और रीति–रिवाजों, आशाओं और आकांक्षाओं की कमी जैसे कारणों के लिए, अनुसूचित जातियों ने आमतौर पर कई सामाजिक विकलांगताओं के साथ उन पर टैग की गई निम्नतम रैंक को स्वीकार किया है। अतीत में अनुसूचित जातियों में मनोरंजनके लिए कोई जगह नहीं थी। पारंपरिक राजनीतिक सेट–अप में ग्राम सभाओं में अनुसूचित जातियों के लिए कोई प्रतिनिधित्व नहीं था।अस्पृश्यता प्रथा अनुसूचित जातियों की मुख्य सामाजिक विकलांगता थी। अनुसूचित जातियों की स्थिति का मूल रूप से नस्लीय, आंशिक रूप से धार्मिक और आंशिक रूप से सामाजिक रीति–रिवाज का मामला है। अस्पृश्यता प्रथा का निर्वाह शहरी, अर्ध शहरी क्षेत्रों में अस्वच्छता और कर्मकांड के अयोग्य व्यवसायों का परिणाम है और धीरे–धीरे गावों से शहरों में फैल गया है। जाति व्यवस्था को पवित्रता और प्रदूषण की अवधारणा पर पाया गया था, क्योंकि जाति पदानुक्रम में बहुत पदों की शुद्धता और प्रदूषण के विचारों पर आधारित हैं, सबसे ऊपर की जाति में उनके भोजन, पोशाक और व्यवसाय में अधिक पवित्रता है। अन्य जातियों की तुलना में अधिक शुद्ध माना जाता है। तल पर स्थित जातियों को अशुद्ध माना जाता है और उनके भोजन, व्यवसाय, कपड़े, रीति–रिवाजों और मिथकों को हीन या अशुद्ध माना जाता है। इसलिए वे आर्थिक रूप से निम्न, शैक्षिक रूप से पिछड़े, सामाजिक रूप से नीच और हिंदू समाज के उच्च धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों से वंचित अवमानना के साथ व्यवहार पर निर्भर हैं। सभी अनुसूचित जातियों को रस्म अशुद्धता की अलग–अलग डिग्री के साथ जिम्मेदार ठहराया गया था। उनके साथ घनिष्ठ संपर्क प्रदूषणकारी था, इसलिए वे अछूत थे। भारतीय जाति व्यवस्था में अछूत होना बहुत कम होना था, और कमोबेश सामाजिक मुख्यधारा से बाहर रखा जाना था।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. *संख्यिकी पत्रिका, उत्तरप्रदेश सरकार, लखनऊ सांख्यिकी*
2. *भारत, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली*
3. *मनोरमा ईयर बुक (2011) मलयालम मनोरमा कंपनी लि. नई दिल्ली*
4. *जागरण वार्षिकी 2012, जागरण बिल्डिंग, सर्वोदय नगर, कानपुर*
5. *क्रांनिकल ईयर बुक (2005), क्रांनिकल पब्लिकेशन प्रा. लि., नई दिल्ली*
6. *The Hindustan Times and The Economic Times.*
7. *Report of the commissioner for S.C/S.T (1986-87)*
8. *Protection of Civil rights Act, 1955 on the Welfare of S.C/S.T, Govt. of India.*
9. *Report on the Working Group on the development of Scheduled Castes (1980-85), Govt. of India.*
10. *Report : World Development – year 1995,2003, Table 27,31(Page- 211 and 214)*
11. *Various Reports of National Sampling Survey, Round 18 & 19 (1963 -64 & 1964-65).*
12. *Reports of Central and State Govt.*